प्रेस नोट संख्या- 22

दिनांक 21.02.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक 12 बोर एसबीबीएल लाइसेंसी बंदूक, 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.02.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त शिव बहादुर यादव पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद यादव निवासी पूरे दल सिंह मजरे चिलूली थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष को एक 12 बोर एसबीबीएल लाइसेंसी बंदूक, 02 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 14.02.2026 को उसके नये घर पर भागवत कथा का आयोजन था जिसमें उसने उसके पास से बरामद उसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई थी। अभियुक्त द्वारा लाइसेंस की शर्तों का का उल्लंघन करते हुए हर्ष फायरिंग की गई थी जिसके संबंध में थाना मोहनगंज पर अन्तर्गत धारा 25(9)/30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- शिव बहादुर यादव पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद यादव निवासी पूरे दल सिंह मजरे चिलूली थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक 12 बोर एसबीबीएल लाइसेंसी बंदूक
2. 02 जिंदा कारतूस
3. 01 खोखा कारतूस

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 47/26 धारा 25(9)/30 आर्म्स एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राकेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 सुरेश कुमार दीक्षित थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अनिरुद्ध प्रसाद यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4. का0 सूघर सिंह यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।